

बिहार सरकार
वित्त विभाग

तिलक राज गौरी,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 02.08.2010


विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2010
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2010 पारित किया है एवं महामहिम राज्यपाल ने इस विधेयक पर दिनांक: 30.07.2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि (विधान) विभाग ने अधिसूचना संख्या-लेज-182 दिनांक: 02.08.2010 द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 24, 2010) को अधिसूचित कर दिया है। बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-521 दिनांक-02.08.2010 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को दो-दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

2. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-1। भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 159 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

3. वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति सभी विभागों को पत्रांक: 644 दिनांक: 19.07.2010 से पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

विश्वासभाजन,



(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0-16
प्रतिलिपि-वित्त
जिला लेखा पदाधिकारी

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0-1
प्रतिलिपि-सर्व
सूचनार्थ ।

ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्या
महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक/अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव
सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य
आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचि
के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूच
सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार
प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)

ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 0
प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधि
उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

(तिलक राज गौरी)


ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.20
प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजि
निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/
संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/
मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदे
शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/
शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज
निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/
चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि
विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेश
संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचि
बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)


ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.20
प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान

2.2010
/आरक्षी
विधान
चयन
युक्त
के
क


पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को पत्र की 5-5 प्रतियाँ
अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)


ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2010
प्रतिलिपि-मुख्यलेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त
आयुक्त, लेखा प्रशासन/सभी संयुक्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/सचिव(व्यय), संसाधन के
आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, स्कीम शाखा-7, 8 एवं 9/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10ए, 13
एवं शाखा-4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2010
प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार
(लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)


ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2010
प्रतिलिपि-उपमुख्य मंत्री के आप्त सचिव को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2010
प्रतिलिपि-सहायक बजट नियंत्रक, श्री कुमार एवं श्री दास/सभी लेखा पदाधिकारी/प्रणाली
विश्लेषक, डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

ज्ञापांक- ब-19/बी0एस0जी0- 259/2010 688 /वि0 पटना, दिनांक: 02.08.2010
प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

निबंधन संख्या पी०टी०-४०



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1932 (श०)
पटना, सोमवार, 2 अगस्त 2010
(सं० पटना 521)

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त 2010

सं० एल०जी०-1-25/2010/लेज-182—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2010]

बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2010

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2011 होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2010-11 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 54,98,65,87,000 (अरब अठानवे करोड़ पैंसठ लाख सतासी हजार) रुपये की निकासी :- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 54,98,65,87,000 (अठानवे करोड़ पैंसठ लाख सतासी हजार) रुपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग :- इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

क्र.सं./ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूजी	अनधिक राशियां		योग
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	5,00,53,26,000		5,00,53,26,000
		पूजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	44,75,09,000		44,75,09,000
		पूजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	9,54,000		9,54,000
		पूजी	3,93,06,000		3,93,06,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व			
		पूजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	84,90,69,000		84,90,69,000
		पूजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व	91,24,000		91,24,000
		पूजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व			
		पूजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	6,00,16,000		6,00,16,000
		पूजी	16,47,04,000		16,47,04,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	90,06,64,000		90,06,64,000
		पूजी	5,26,40,00,000		5,26,40,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	13,00,00,000		13,00,00,000
		पूजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	20,00,000		20,00,000
		पूजी	8,00,00,000		8,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व		50,00,000	50,00,000
		पूजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूजी		3,62,19,01,000	3,62,19,01,000

10/8/10
701
एफ.एम.
F.
98-08
प्रश्न में आए हैं
दिये जाने अथवा
निराधार एवं
की जाँच के
ग का कुलित
साध ही, ऐसी
डल सचिवालय
दिनांक-05.
10-24.06.05
में निर्दिष्ट
अथवा अनाम
च करने के
तर आश्वस्त
उन बिन्दुओं
दि परिवारी
कर एतद्
जाँच हेतु
करते हुए
सचिव,
7/10
खर्चों
सचिव

ज्ञापक

जिला

4

बिहार गजट (असाधारण), 2 अगस्त 2010

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूजी	अनधिक राशियां	
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित
1	2	3	4	5
15	पेंशन	राजस्व		
		पूजी		
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,79,65,32,000	
		पूजी		
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	29,70,58,000	
		पूजी		
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	80,00,00,000	
		पूजी		
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	15,14,00,000	
		पूजी		
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	4,52,000	
		पूजी	15,70,000	
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	24,21,80,000	
		पूजी	20,00,00,000	
22	शूह विभाग	राजस्व	1,64,75,58,000	
		पूजी	1,08,69,05,000	
23	उद्योग विभाग	राजस्व	99,31,54,000	
		पूजी		
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	25,00,000	
		पूजी		
25	सूचना प्रविधिकी विभाग	राजस्व	24,00,000	
		पूजी		
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	9,04,63,000	
		पूजी	2,00,00,000	
27	विधि विभाग	राजस्व	95,59,79,000	
		पूजी		
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		4,37,000
		पूजी		
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	4,50,000	
		पूजी		

सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
		बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
2	3	4	5	6
संख्यात्मक कल्याण विभाग	राजस्व	50,36,78,000		50,36,78,000
	पूंजी	10,00,00,000		10,00,00,000
संवैधानिक कार्य विभाग	राजस्व			
	पूंजी			
विधान मंडल	राजस्व	99,55,000		99,55,000
	पूंजी			
सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	98,88,000		98,88,000
	पूंजी			
बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
	पूंजी			
जनता एवं विकास विभाग	राजस्व	2,82,05,54,000		2,82,05,54,000
	पूंजी	10,26,00,000		10,26,00,000
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	88,62,00,000		88,62,00,000
	पूंजी			
संवैधानिक कार्य विभाग	राजस्व			
	पूंजी			
संस्कृत, उत्पाद एवं मद्य विभाग	राजस्व	8,43,36,000		8,43,36,000
	पूंजी			
संस्कृत प्रबंधन विभाग	राजस्व	7,69,42,02,000		7,69,42,02,000
	पूंजी	1,39,50,000		1,39,50,000
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	71,10,79,000		71,10,79,000
	पूंजी			
संस्कृत विभाग	राजस्व	7,08,000		7,08,000
	पूंजी			
संस्कृत विकास विभाग	राजस्व	4,14,00,000		4,14,00,000
	पूंजी			
ज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग	राजस्व	4,47,49,000		4,47,49,000
	पूंजी	34,15,90,000		34,15,90,000
संस्कृत जाति एवं जनजाति विभाग	राजस्व	45,50,20,000		45,50,20,000
	पूंजी			
संस्कृत उद्योग विभाग	राजस्व	5,05,000		5,05,000
	पूंजी	31,33,000		31,33,000

6/7/10

Signature
G.F.
11.08.10

दृष्टान्त प्रकाश में आए हैं
र्यन नहीं किये जाने अथवा
श परिवार-पत्र निराधार एवं
परिवार पत्रों की जाँच के
एवं मिथ्यारोपण का कुत्सित
पड़ता है। साथ ही, ऐसी

बंध में मंत्रिमंडल सचिवालय
17.76, 16514 दिनांक-05-
पत्रांक-945 दि-24.06.05
दर्भ में इन पत्रों में निर्दिष्ट

के हस्ताक्षरित अथवा अनाम
न हों, पर जाँच करने के
पथ पत्र प्राप्त कर आश्वस्त
री है और व. उन बिन्दुओं
तैयार है। यदि परिवार
पर कोई जाँच न कर एतद
ता भी परिवार-पत्र जाँच हेतु
क में कार्रवाई करते हुए

या जाय।

विश्वासभाजन,
असु
25/7/10
(अनूप मुखर्जी)
आयुक्त एवं सचिव

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संवित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	16,00,000		16,00,0
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	3,06,35,78,000		3,06,35,78,0
		पूंजी	5,00,00,000		5,00,00,0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,39,00,00,000		2,39,00,00,0
		पूंजी	7,52,78,00,000		7,52,78,00,0
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	98,57,23,000		98,57,23,0
		पूंजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	2,41,19,88,000		2,41,19,88,0
		पूंजी			
योग राजस्व			36,36,36,91,000	54,37,000	36,36,91,28,0
योग पूंजी			14,99,55,58,000	3,62,19,01,000	18,61,74,59,0
महायोग			51,35,92,49,000	3,62,73,38,000	54,98,65,87,0

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 521-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

(क) स:

गृहम् आगच्छति ।

1. दिये गये शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-
(अस्माकं, हिमालयात्, परोपकाराय, विद्यालयात्, रामस्य)